रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/93 REGD. NO. D.L.-33004/93

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 212] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 12, 1993/चैत्र 22, 1915
No. 212] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 12, 1993/CHAITRA 22, 1915

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय
(वित्तीय कार्य विभाग)
(वैंकिंग प्रभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अप्रैल, 1993

का. आ. 535(अ):—केन्द्रीय सरकार पोत परिवहन विकास निधि समिति (उत्पादन) अधिनियम, 1986 (1986 का 66) की धारा 16 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एस. सी. आई. सी आई. लिमिटेड को, जो कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन एक रजिस्ट्रीकृत कंपनी है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय "निलोन हाउस", 254-डी, डा एनी बेसेंट रोड, मुम्बई-400025 में है, पदाभिहित व्यक्ति नियुक्त करती है और उक्त पदाभिहित व्यक्ति को भूतपूर्व पोतपरिवहन विकास निधि समिति द्वारा की गई संविदाओं के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 4, धारा 5 और धारा 8 के अधीन प्रयोक्तव्य अपनी शक्तियां और कृत्य प्रत्यायोजित करती है, अर्थात्:—

(1) पात्र भारतीय कंपनियों को भारतीय जलयानों पर भारत सरकार के पक्ष में या उक्त कंपनियों की कामकाज पूंजी को पूरा करने के लिए किसी अन्य उधारदाता के पक्ष में प्रथम प्रभार के बाद की पंक्ति वाले प्रभार या बंधक के सृजन या किसी अस्तित्वयुक्त प्रभार के सृजन के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुज्ञा प्रदान करने की शक्ति.—

(क) दूसरा या बाद का बंधकदार, तब तक उक्त दूसरा या पश्चात्वर्ती प्रभार या बंधक प्रवर्तित नहीं करेगा या उसके अधीन किन्हीं अधिकारों का प्रयोग नहीं करेगा, जब तक कि उक्त भारतीय कंपनी भारत के राष्ट्रपति के पक्ष में सृजित पहले बंधकदार या अस्तित्वयुक्त बंधक (बंधकों) द्वारा प्रतिभूत संपूर्ण रकम और उस पर ब्याज का संदाय नहीं कर देती ;

(ख) केन्द्रीय सरकार को उपर्युक्त दूसरे या पश्चात्वर्ती बंधक को प्रभावी करने वाले सभी दस्तावेजों के संबंध में पुष्टिकर्ता पक्षकार बनाया जाएगा ,

(ग) ऐसे बंधकों के दस्तावेज केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किए जाने हैं और केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गए अनुबंध इन दस्तावेजों में सम्मिलित किए जाने हैं, और

(ख) पहले बंधकदार के रूप में केन्द्रीय सरकार के अधिकारों पर किसी भी रीति से प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता या जोखिम नहीं होता,

स्पष्टीकरण:—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "पात्र मत्स्य कंपनी" से ऐसी मत्स्य कंपनी अभिप्रेत है जिसके (i) परिचालनों को अर्थक्षम माना जाता है, (ii) लेखाओं का संचालन संतोषजनक समझा जाता है और (iii) जिसका रवैया अनुशासनहीन/असहयोगपूर्ण नहीं है ।

(2) पोतपरिवहन कंपनियों या मत्स्य कंपनियों द्वारा, जैसी भी स्थिति हो, ऋण तथा बंधक दस्तावेजों और बीमा पालिसियों के निबंधन और शर्तों के अनुसार समुद्री, युद्ध जोखिम और सुरक्षा तथा क्षतिपूर्ति कवर के संबंध में किए जाने वाले संदायों पर नजर रखना और उन मामलों में, जिनमें यथास्थिति, उक्त पोतपरिवहन कंपनियों और मत्स्य कंपनियों, ने प्रीमियम के, जो प्रत्येक पोतपरिवहन कंपनी या मत्स्य कंपनी के लिए, हर तीन महीने के बाद अधिकतम दस लाख रुपए हो, संदाय में व्यतिक्रम किया हो, पूर्वोक्त कवरों का नवीकरण करना, परन्तु जहां संदाय में व्यतिक्रम हुआ है वहां ऐसे व्यतिक्रम के मामलों को केन्द्रीय सरकार की जानकारी में लाया जाएगा ताकि वह सरकार, यथास्थिति, ऐसी पोतपरिवहन कंपनी या मत्स्य कंपनी, की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने में समर्थ हो सके ।

(3) पोत निर्माताओं और पोतपरिवहन कंपनी या मत्स्य कंपनी द्वारा दी गई बैंक गारंटियों को अभिरक्षा में रखना और इस बात की निगरानी रखना और यह सुनिश्चित करना कि पूर्वोक्त अधिनियम के अधीन पोतपरिवहन विकास निधि समिति द्वारा अपने उत्सादन से पूर्व किए गए प्रत्येक ऋण करार के अधीन दिए गए ऋणों के लिए प्रतिभूतियों की अपेक्षाओं के अनुसार इनका नवीकरण किया जाए और यदि आवश्यक हो, तो उक्त गारंटियों का अवलंब लेना,

(4) ऐसे अनुवर्ती उपाय करने के लिए जो परिस्थितियों के अधीन यथोचित समझे जाएं, पोतपरिवहन और मत्स्य कंपनियों को पूर्ण या आंशिक रूप से देय राशियों के संबंध में, उनके देय होने से पहले या बाद में, नोटिस जारी करना,

(5) भारत में अथवा विदेशों में न्यायालयों और विधिक रूप से मान्यताप्राप्त किन्हीं अन्य प्राधिकारियों के समक्ष भूतपूर्व पोतपरिवहन विकास निधि समिति अथवा केन्द्रीय सरकार की सहायता से पोत-परिवहन और मत्स्य कंपनियों से संबंधित मामलों में केन्द्रीय सरकार के पदाभिहित व्यक्ति के रूप में मामलों में हस्तक्षेप करना,

(6) भूतपूर्व पोतपरिवहन विकास निधि समिति अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा यथास्थिति, पोतपरिवहन कंपनियों या मत्स्य कंपनियों को दिए गए ऋण से संबंधित सभी विधिक दस्तावेजों को निष्पादित करना और अभिरक्षा में रखना,

(7) पोतपरिवहन कंपनियों अथवा मत्स्य कंपनियों को भूतपूर्व पोत-परिवहन विकास निधि समिति द्वारा या केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए गए ऋणों के संबंध में गारंटी की पर्याप्तता का पुनर्विलोकन, करना और, निष्पादित दस्तावेजों के निबंधनों के अनुसार अतिरिक्त या आनुकल्पिक गारंटी के बारे में केन्द्रीय सरकार के अनुबंधों का उक्त कंपनियों द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जाना,

(8) प्रत्येक पोतपरिवहन और मत्स्य कंपनी के बारे में बकाया देय राशियों, अतिदेय राशियों और संवितरणों को दर्शाने वाली विस्तृत लेखा बहियों, रजिस्टरों और अन्य सुसंगत अभिलेखों को रखना ;

(9) संविदाओं के बारे में पुनर्वास प्रस्थापनाओं का कार्यान्वयन और उन्हें ऐसी पोतपरिवहन कंपनियों या मत्स्य कंपनियों को संसूचित करना जैसा केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अनुमोदित की जाए ;

(10) पोतपरिवहन और मत्स्य कंपनियों के बारे में ऐसे पुनर्वास प्रस्थापनाओं का वार्षिक पुनर्विलोकन करना और, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से ऐसे पुनर्वास प्रस्थापनाओं में उपान्तरण करना,

(11) संबद्ध पोतपरिवहन और मत्स्य कंपनियों के बकाया ऋण की तुष्टि के लिए जलयानों के विक्रय आगमों और किसी भी प्रकार की प्राप्तियों का केन्द्रीय सरकार के प्रति विनियोजन और उक्त कंपनियों को उसकी संसूचना । परन्तु किसी विशिष्ट मामले में अथवा मामलों के वर्ग में केन्द्रीय सरकार उक्त सभी या किन्हीं शक्तियों और कृत्यों का स्वयं प्रयोग कर सकती है ।

[एफ. सं. 5(3)/88]

डा. पी. जे. नायक, संयुक्त सचिव (आई.एफ.)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(BANKING DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi the 12th April, 1993

S.O. 235(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 16 of the Shipping Development Fund Committee (Abolition) Act, 1986 (66 of 1986), the Central Government hereby appoints the SCICI Limited, a company registered under the Companies Act, 1956 and having its registered office at 'NIRLON HOUSES', 254-B, Dr. Annie Besant Road, Bombay-400 025, the designated person, and delegates to the said designated person its powers and functions in respect of contracts entered into by the erstwhile Shipping Development Fund Committee exercisable under section 4, 5, and 8 of the said Act, namely :—

(1) power to grant permission to eligible fishing companies for creation of a charge or mortgage ranking after the first charge or creation of any subsisting charge in favour of the Government of India on the fishing vessels or in favour of any other lender for meeting the said companies' working capital subject to the following conditions :—

(a) the second or further mortgage shall not enforce the said second or subsequent charge or mortgage or exercise any rights thereunder without the said fishing company paying off the entire amount and interest thereon secured by the first mortgage or subsisting mortgage(s) created in favour of the President of India;

(b) the Central Government shall be made a confirming party to all the documents effecting the above second or subsequent mortgage ;

(c) the documents of such mortgage are approved by the Cenral Government and the stipulations made by Central Government are incorporated in these documents ; and

(d) the rights of Central Government as the first mortgagee are not adversely affected or jeopardised in any manner ,

Explanation—For the purposes of this clause "An eligible fishing company" means a fishing company whose (i) operations are regarded as viable, (ii) the conduct of accounts is considered satisfactory and (iii) there is no recalcitrant/non-cooperative attitude.

(2) to keep watch over the payments to be made by shipping companies or fishing companies, as the case may be, in respect of marine, war risk and protection and indemnity covers in accordance with the terms and conditions of the loan and mortgage documents and the insurance policies and renewal of the aforesaid covers in cases where the said shipping companies and fishing companies, as the case may be, are in default in payment of premium, subject to a maximum of Rupee Ten Lakhs for each shipping company or fishing company, after every three months, provided that where there is default in payment, the cases of such default shall be brought to the notice of the Central Government enabling that Government to review the financial position of such shipping company or fishing company, as the case may be ;

(3) to hold custody of Bank Guarantees furnished by ship builders and shipping company or fishing company and to keep a watch and to ensure that these are renewed in accordance with the requirements of securities for the loans advanced under each loan agreement entered into by Shipping Development Fund Committee prior to its abolition under the aforesaid Act and to invoke the said Guarantees, if necessary ;

(4) to issue notices to shipping and fishing companies in respect of any dues either in full or in part before or after their having become due for taking such follow-up measures as are deemed expedient under the circumstances ;

(5) to intervene in cases as designated person of the Central Government in cases related to shipping and fishing companies assisted by the erstwhile Shipping Development Fund Commtitee or by the Central Government before Courts as well as before any other legally recognised authorities either in India or aborad ;

(6) to execute and hold custody of all legal documents pertaining to the loan advanced by the erstwhile Shipping Development Fund Committee or by the Central Government to shipping companies or fishing compaines as the case may be ;

(7) review of the adequacy of security in respect of the loans advanced by the erstwhile Shipping Development Fund Committee or by the Central Government to shipping companies or fishing companies and ensure ing compliance by the said companies of the stipulations of Central Government regarding additional or alternative security in terms of the executed documents ;

(8) maintenance of detailed books of accounts, registers and other relevant records showing outstanding dues, ovedues and disbursements in respect of each shipping and fishing company ;

(9) implementation of rehabilitation proposals in respect of contracts and communication thereof to shipping companies or fishing companies as approved by the Central Government from time to time ;

(10) yearly review of such rehabilitation proposals in respect of shipping and fishing companies and carrying out modifications in such rehabilitation proposals with the approval of Central Government ;

(11) appropriation of sale proceeds of vessels and receipts of any other nature towards the satisfaction of the oustanding debt of the concerned shipping and fishing companies to the Central Government and communication thereof of the said companies.

Provided that the Central Government may itself exercise any or all of the said powers and functions in any particular case or class of cases

[F. No. 5(3)/88]

Dr. P. J. NAYAK, Jt. Secy. (IF).

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1993